

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2022

आदेश

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 और 24.11.2021 के आदेशों (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर, केंद्र सरकार ने कोयले की बिक्री के लिए प्रासंगिक अधिनियम के तहत पहचानी गई कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित संशोधन को मंजूरी दी है जैसाकि नीचे पैरा 2 में उल्लिखित हैं:

2. उपरोक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश का पैरा 2.1.5 (क) निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा:-

अग्रिम राशि:

(क) अग्रिम राशि की गणना कोयला खान के अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार के मूल्य के 0.20% पर की जाएगी। अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार का मूल्य निम्नलिखित के उत्पाद के बराबर होगा:

(i) कोयले की खान में भूवैज्ञानिक भंडार की अनुमानित मात्रा, और

(ii) दिनांक 28.05.2020 के समसंख्यक कार्यालय जापन के पैरा 2.1.3 (क)(iii)(क) में संदर्भित कोयले के प्रासंगिक ग्रेड का प्रतिनिधि मूल्य

यद्यपि, देय अग्रिम राशि उपरोक्त पद्धति के अनुसार या नीचे उल्लिखित सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, वास्तविक गणना के अनुसार होगी:-

खान में भूगर्भीय भंडार (मि.ट.)	अग्रिम राशि की ऊपरी सीमा (करोड़ रुपए)
200 तक	75
200 से ऊपर	500

3. अन्य सभी नियम और शर्तें वही रहेंगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रिशन आर रिंतथियांग)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष. 23073936

प्रति,

1. अपर सचिव एवं नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय
2. निदेशक (एनए)/निदेशक (पीएंडएस-I/पीएंडएस-II)

प्रतिलिपि,

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (कोयला) के पीएसओ
3. अपर सचिव (कोयला) के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव (एमएन) एवं एनए के प्रधान निजी सचिव
5. एसटीडी, एनआरसी, कोयला मंत्रालय.... मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।